कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद, पीलीभीत।

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सूचना/प्रेस विज्ञप्ति

पत्रांक :- 664 / डी०एल०एस०ए० पी०/2024
दिनांक :- 14-11-2024

सेवा में,

जिला सूचनाधिकारी
जनपद, पीलीभीत।

महोद्य,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजना के अन्तर्गत निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दिये जाने हेतु National Legal Services Authority (Free And Competent Legal Services) Regulations, Act 2010 **के अनुसार पैनल लॉयर्स का गठन किया जाना है। जिसके सम्बंध में जनपद एवं तहसील के अधिवक्तागण निम्न प्रारुप पर या जनपद न्यायालय की वेवसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर** निर्धारित प्रारुप पर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए **दिनांक 20.11.2024 की सांय 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त पैनल विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षो के लिये गठित होगा। आवंटित किये गये मुकदमों में न्यायालय में पैरवी करने हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा। उल्लेखनीय है कि 03 वर्षो से कम वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण आवेदन हेतु पात्र नही है।** अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ बार कांउसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वंय की रंगीन फोटो संलग्न करके कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत में निर्धारित समय के अन्दर जमा कर सकते है।

उर्पयुक्त के सम्बंध में विस्तृत जानकारी के लिए जनपद न्यायालय पीलीभीत की बेवसाइट http://pilibhit.dcourts.gov.in पर सम्पर्क कर सकते है। या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

Sunil Kumar

(सुनील कुमार द्वितीय)
अपर जनपद न्यायाधीश/
पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद, पीलीभीत।
दिनांकः14.11.2024

प्रतिलिपिः—

1—श्रीमान प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापन की प्रति को जनपद न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड कराये जानें हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करनें की कृपा करें।

2—जिला सूचनाधिकारी पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापन को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

3—श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसिएशन पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें जानें हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करनें का कष्ट करें।

4—श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें जानें हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करनें का कष्ट करें।

5—श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, सयुक्त बार एसोसिएशन पीलीभीत को इस आशय के साथ प्रेषित

की उक्त विज्ञापन की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें जानें हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करनें का कष्ट करें।

Sunil Kumar

(सुनील कुमार द्वितीय)
अपर जनपद न्यायाधीश/
पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद, पीलीभीत।
दिनांकः14.11.2024

<u>प्रारुप</u>

स्वः प्रमाणित नवीनतम फोटो

01–नाम अधिवक्ता

02–पिता का नाम

03–स्थायी पता

04–वर्तमान पता (वर्तमान में मुख्यालय/तहसीलो में बैठने का स्थान सहित)

05–दूरभाष/मोवाईल नं0

06–पंजीकरण संख्या एवं दिनांक(03 वर्ष से कम अवधि वाले आवेदन हेतु पात्र नही है।) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है।)

07–शैक्षिणिक योग्यता

08–वकालत का क्षेत्र जिसमें विधिक सेवा देना चाहते है, दीवानी, फौजदारी, राजस्व, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण आदि।

09–अन्य विवरण यदि हो तों।

दिनांकः

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर